न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 54/2018

-: प्रार्थीगण :-

1. पोकरराम पुत्र भंवरू
2. रामनिवास पुत्र भंवरू
3. जसादेवी पत्नि भंवरू
4. भागूराम पुत्र हजारीराम फौत
   के कायम मुकाम :-
   4/1 भींयाराम पुत्र भागूराम
5. दीनाराम पुत्र हापूराम
6. रामस्वरूप पुत्र हापूराम
7. भबूतराम पुत्र प्रतापराम
8. धारूराम पुत्र प्रतापराम
9. रामनिवास पुत्र दुर्गाराम
10. पूसाराम पुत्र दुर्गाराम
11. रामलाल पुत्र दुर्गाराम
12. कानाराम पुत्र दुर्गाराम
13. अणदाराम पुत्र हाथीराम फौत
    के कायम मुकाम :-
    13/1 हड़मानराम पुत्र अणदाराम
14. हरीराम पुत्र हाथीराम
15. जयराम पुत्र हाथीराम
16. बक्साराम पुत्र तारूराम
17. शियाराम पुत्र तारूराम
18. चैनाराम पुत्र तारूराम
19. ढगलाई पत्नि तारूराम
20. पाबूराम पुत्र अमराराम
21. भीकाराम पुत्र छोगाराम फौत
    के कायम मुकाम :-
    21/1 रामपाल पुत्र भीकाराम
22. समुदेवी पुत्री राजूराम
23. देवाराम पुत्र जवारराम
24. पेमाराम पुत्र जवारराम
25. धर्माराम पुत्र जवारराम
26. रूपाराम पुत्र जवारराम
27. सुवटी पत्नि जवारराम
28. जीवणराम पुत्र मांगूराम
29. निहालराम पुत्र मांगूराम
30. तेजाराम पुत्र मांगूराम
31. हावड़ी पत्नि मांगूराम

जातियान-जाट, निवासीगण-लिलरिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. हल्का पटवारी
   आ0कालू-प्रथम
   तह.-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार, जैतारण
   तह.-जैतारण, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.13/03/2018

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 15/06/2018**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा–लिलरिया, पटवार हल्का–आ0कालू–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 22–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि हैं एवं मौके पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त व हक अधिकार भी हैं। नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा असल सीट की प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश की हैं। प्रार्थीगण की इस खसरा नम्बर 53 के चिपते हुये ही रामधड़ा से ग्राम – आकोदिया की ओर जाने वाला रास्ता स्थित हैं, जो राजस्व रेकर्ड में पगडण्डीयां तथा रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 29 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा की भूमि के रूप में दर्ज हैं। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश भी इस कार्यवाही के साथ पेश की हैं। प्रार्थीगण मौके पर अपनी खातेदारी सुदा भूमि पर ही काबिज हैं एवं प्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं। खसरा नम्बर 29 गै0मु0रास्ता मौके पर पृथक से स्थित हैं व उसके दूसरी तरफ अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमियां आई हुई हैं। उक्त दूसरे तरफ के खातेदारों ने रास्ते पर अतिक्रमण करते हुये मूल रास्ते को प्रार्थीगण की कृषि भूमि की तरफ आगे बढ़ा दिया हैं एवं इसमें हल्का पटवारी – आ0कालू–प्रथम की भी बदनियती रही हैं। इस भूमि के बाबत् प्रार्थीगण ने पूर्व में हल्का पटवारी से पेमाईश हेतु निवेदन किया, तो हल्का पटवारी आ0कालू ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 22–00 बीघा भूमि की पेमाईश किये बिना ही प्रार्थीगण को रास्ते पर अतिक्रमी होना बता दिया हैं। जबकि वास्तविक में प्रार्थीगण ने मौके पर अपने पूर्वजों के समय से कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं एवं हल्का पटवारी आ0कालू–प्रथम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही कतई गलत व बदनियतीपूर्वक हैं एवं अड़ौस–पड़ौस के खातेदार भी सही व उचित सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थीगण से विवाद कर रहे हैं। जबकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर मौके पर पत्थरगढ़ी व नेखमबन्दी करवाने के अधिकारी हैं। कारण कि पड़ौसी खातेदार जानबुझकर प्रार्थीगण की भूमि को हड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलन्दाजी कर सीमा विवाद करते हैं। यदि अप्रार्थीगण इस प्रकार यदि प्रार्थीगण की मेडबन्दी को हटाकर सीमा विवाद करेगें एवं मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं करने देगे, तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कते होगी। इस प्रकार से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र मौके पर कराने सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी एवं माठ कायम कराने का श्रीमान के समक्ष बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश किया हैं। प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्र माफिक न्याय शूल्क पर पेश किया हैं एवं श्रीमान् श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा में पेश हुई। अप्रार्थीगण तहसीलदार जैतारण एवं भू0अ0निरीक्षक द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि रूबरू वादीगण एवं मौतबिरान मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया कि वादीगण की खसरा नम्बर 53 रकबा 22–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि वर्तमान में खाली पड़ी हैं। उक्त खसरा नम्बर 53 की उत्तरी ओर लगती हुई खसरा नम्बर 29 की गै0मु0रास्ता भूमि व पूर्वी ओर खसरा नम्बर 82 गै0मु0रास्ता की भूमि आती हैं। वादीगण के खेत की पूर्व में पैमाईश बाबत जानकारी लेने पर बताया गया कि पूर्व में हल्का पटवारी आ0कालू द्वारा रास्ता विवाद के वक्त रास्ता खसरा नम्बर 29 के सीमांकन बाबत ही पैमाईश की गई थी एवं अब हम हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 53 की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। चूँकि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 53 के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाने बाबत माननीय न्यायालय में वाद दायर किया हुआ हैं। जिसके अनुसार मौके पर सीमांकन एवं पत्थनगढ़ी कार्य किया जाता हैं तो किसी को कोई उज्र / आपति नहीं होना बताया। अतः सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी किया जाना उचित हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी, फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस वकील प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि का राजीनामा अनुसार सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। लिहाजा विवादित आराजी का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–लिलरिया, पटवार हल्का–आ0कालू–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 22–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–काणेचा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner